पत्रांकः–9A/विविध (महा–अभियान) 07–12/2025.....2909.........(9A)/रा०,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

EMAIL

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः–11-08-2025

विषयः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित राजस्व महा–अभियान (दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025) में कृषि विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों से अपेक्षित सहयोग लिये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक–2786(9A), दिनांक–29.07.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि राज्य के रैयतों के जमीन संबंधी अभिलेखों में सुधार एवं उत्तराधिकार/नामांतरण तथा बँटवारा नामांतरण का आवेदन पत्र संग्रहित करने हेतु दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025 तक राजस्व महा–अभियान चलाया जाना है, जिसमें मूल रूप से वर्त्तमान में ऑनलाइन की गई जमाबंदियों की प्रति संबंधित रैयतों को उनके घर पर जाकर उपलब्ध करायी जाएगी तथा जमाबंदी सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराने/उत्तराधिकारी नामांतरण/बँटवारा नामांतरण के लिए हल्का स्तर पर आयोजित शिविर में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। महा–अभियान के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निष्पादन किया जाएगा। इस संबंध में प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. यह अभियान राज्य के रैयतों के भूमि संबंधी अभिलेखों के सुधार एवं अद्यतीकरण के दिशा में एक बड़ा प्रयास है एवं इसमें सभी विभागों एवं हितभागियों की भागीदारी आवश्यक है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–2809(9A), दिनांक–01.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग एवं सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के सक्रिय अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता, बिहार को पत्र प्रेषित है।

3. इस अभियान में कृषि विभाग के हल्का एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों का ग्राम पंचायतों में रैयतों को जागरूक करने, प्रपत्र वितरण, हल्का स्तर पर आयोजित शिविरों में उपस्थिति तथा राजस्व कर्मियों के साथ अपेक्षित सहयोग आदि कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

अतः अनुरोध है कि किसान सलाहकार के साथ–साथ कृषि विभाग के अंचल/पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों को राजस्व महा–अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाए। महा–अभियान में उनकी भूमिका अंचल द्वारा तैयार माइक्रो प्लान के अनुसार अंचल स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–9A/विविध (महा–अभियान) 07–12/2025–2909 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक–11-08-2025

ई–मेल

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार/सभी अंचल अधिकारी, बिहार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

पत्रांकः–9A / राजस्व महा–अभियान–07–11 / 2025.....2809.......(9A)/ रा०,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
अनुपम कुमार,
सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग।
दिवेश सेहरा,
सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग।
मनोज कुमार
सचिव, पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 01-08-2025

विषयः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025 तक चल रहे राजस्व महाअभियान में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर विभागीय समन्वय के संबंध में।

प्रसंगः– राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक–2786(9ए) / रा०, दिनांक–29.07.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध आप अवगत हैं कि राज्य के रैयतों के जमीन संबंधी अभिलेखों में सुधार एवं उत्तराधिकारी नामांतरण तथा बंटवारा नामांतरण के आवेदन पत्र संग्रहित करने हेतु दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025 तक Door to Door अभियान चलाया जाएगा जिसमें मूल रूप से वर्तमान में ऑनलाईन की गई जमाबंदियों की प्रति संबंधित रैयतों को उनके घर पर जाकर उपलब्ध करा दी जाएगी तथा जमाबंदी सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाईन कराने / उत्तराधिकारी नामांतरण / बंटवारा नामांतरण के लिए हल्का स्तर पर आयोजित शिविर में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। छूटी हुई जमाबंदियों में वैसे मामले भी शामिल हैं जहां बंदोबस्ती पर्चा / परवाना निर्गत हुआ है, परंतु जमाबंदी कायम

नहीं हुई है।इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार के पत्रांक–2786(9ए)/रा0, दिनांक–29.07.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिनांक–31.07.2025 को राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

2. यह अभियान राज्य के रैयतों के भूमि संबंधी अभिलेखों के सुधार एवं अद्यतीकरण के दिशा में एक बड़ा प्रयास है एवं इसमें सभी विभागों एवं हितभागियों की भागीदारी आवश्यक है। अतः इस हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सक्रिय अंतर विभागीय समन्वय के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर कार्यवाही आवश्यक है:–

(क) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर राजस्व अधिकारी/कर्मियों के संगठन एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों के संगठन के साथ भी एक बैठक दिनांक–10.08.2025 को आयोजित की जा रही है, जिसमें उन्हें इस अभियान के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराया जाएगा तथा इस अभियान में उनके सक्रिय भागीदारी के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(ख) समाहर्त्तागण से अनुरोध है कि इस अभियान की सफलता के लिये जिला स्तर पर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक समन्वय बैठक दिनांक–04.08.2025 तक करने की कृपा करें। जिसमें इस अभियान से संबंधित पूर्व का प्रासंगिक पत्र एवं इस पत्र की प्रति सभी को उपलब्ध करा दें तथा अभियान के विभिन्न चरणों के संबंध में उन्हें ब्रीफिंग करते हुए जिला स्तर तथा अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक का दायित्व भी दे दें।

(ग) प्रखण्ड/अंचल स्तर पर इस पूरे अभियान के संचालन के लिए एवं उसके पर्यवेक्षण के लिए एक अंचल स्तरीय समिति का गठन दिनांक–04.08.2025 तक सुनिश्चित करने की कृपा करें, जिसके समन्वयक अंचलाधिकारी/प्रभारी अंचलाधिकारी होंगे तथा इस समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं अन्य प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक सदस्य होंगे। यह समिति माइक्रो प्लान बनायेगी, जिसको दिनांक–10.08.2025 तक बनाते हुए दिनांक–10.08.2025 से

12.08.2025 के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(घ) अंचल/प्रखण्ड स्तर पर पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा विकास मित्रों का प्रशिक्षण दिनांक–05.08.2025 से 09.08.2025 के बीच सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ताकि सभी को अभियान की जानकारी रहे एवं हल्का शिविर का संचालन, घर–घर जमाबंदी वितरण एवं हल्का शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों को अंचल स्तर पर ऑनलाईन करने में सभी विभागों के मानव एवं भौतिक संसाधनों के उपयोग का समन्वय कर सकें। मुख्य रूप से कम्प्यूटर/लैपटाप, स्कैनर इत्यादि की आवश्यकता होगी एवं प्रखण्ड/अंचल स्तर पर उपलब्ध सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाओं की भी आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हल्का शिविरों में भी उस पंचायत में विभिन्न विभागों के उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग किया जायेगा। यह प्रखंड स्तरीय समन्वय के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। हल्का स्तर पर शिविर के लिए सहयोग हेतु सभी विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मी शिविर स्थल पर उपस्थित रहेंगे।

(ङ) इस कार्यक्रम में प्रचार–प्रसार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव होगा। इसके लिए राज्य स्तर से प्रचार का मसौदा तथा पैंफलेट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर होर्डिंग, अखबार एवं पैंफलेट वितरण के माध्यम से प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। प्रचार–प्रसार के कार्य के समन्वय की सम्पूर्ण जवाबदेही जिला जन संपर्क पदाधिकारी निर्वहन करेंगे।

(च) इस अभियान में पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। इसके लिए पंचायत समिति के प्रमुख सहित सभी पंचायत समिति सदस्यों एवं उस प्रखंड/अंचल अंतर्गत पंचायतों के मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य का एक प्रशिक्षण –सह–उन्मुखीकरण कार्यक्रम दिनांक–13.08.2025 से 14.08.2025 के बीच आयोजित कर लिया जाए तथा उन्हें पैंफलेट, प्रपत्र एवं माईक्रो प्लान की प्रति प्राप्त करा दिया जाय।

(छ) घर–घर जाकर जमाबंदी वितरण हेतु जिस दल का गठन किया जाएगा उसे सहयोग करने के लिए संबंधित पंचायतों के मुखिया/सरपंच एवं विशेष तौर पर वार्ड सदस्यों/पंचों को जिम्मेवारी दी जाए, ताकि वे वितरण में सहयोग कर सकें।

(ज) हल्का स्तर पर आयोजित शिविर में पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के उपलब्ध संसाधनों का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाए।

(मनोज कुमार)
सचिव,
पंचायती राज विभाग।

(दिवेश सेहरा),
सचिव,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग।

(अनुपम कुमार)
सचिव,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पत्रांक–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–2786 (9A)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

ई–मेल

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–29-07-2025

विषय :– राजस्व महा–अभियान (16 अगस्त, 2025 से 20 सितम्बर, 2025) के संचालन के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों/भू–धारियों को एतद् संबंधी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ यथा– दाखिल–खारिज, परिमार्जन, भू–मापी, भू–लगान इत्यादि प्रदान की जा रही है। इन ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से आम रैयतों/भू–धारियों से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया जाता है।

2. ज्ञातव्य हो कि भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण के अंतर्गत ऑनलाइन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाइन परिमार्जन की कार्रवाई सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। यह जनहित एवं राज्य के आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने हेतु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। रैयतों/भू–धारियों से दाखिल–खारिज तथा परिमार्जन हेतु याचिका/आवेदन प्राप्त होने के उपरांत निर्धारित समय–सीमा के अंदर इसका निष्पादन किया जाना अपेक्षित है। इन दोनों प्रक्रियाओं में प्रगति से विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सुविधा होगी एवं आपत्तियाँ कम प्राप्त होगी।

3. जमाबंदी पंजियों के डिजिटाइजेशन के क्रम में कुछ ऑनलाइन/डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में अशुद्धियाँ/लोप रह गयी है। ऐसे मामले स्वतः संज्ञान में आने अथवा रैयतों से प्राप्त आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी के स्तर से विभागीय परिपत्रों में विहित प्रक्रिया के अनुसार जाँचोपरांत सुधार की कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद जमाबंदी में परिलक्षित अशुद्धियों/लोप को दूर नहीं किये जाने के संबंध में रैयतों द्वारा बड़ी संख्या में परिवाद पत्र/अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया जा रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था में जानकारी के अभाव में कई रैयत आवेदन नहीं कर पाते है अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन करते है, जिसके कारण मामले का निष्पादन नहीं हो पाता है। कई मामलों में

E:\2025\9A\Rajswa Maha-abhiyan\Direction.docx

जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो जाने के बावजूद उनके नाम से ही जमाबंदी चलती रहती है जबकि उत्तराधिकारियों के नाम से दाखिल–खारिज हो जाना चाहिए। संयुक्त संपत्ति के मामले में भी मौखिक बँटवारा के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग–अलग जमाबंदी कायम नहीं होने के कारण भी भूमि विवाद के मामले बढ़ते है।

इसके आलावा कतिपय जमाबंदी ऐसी हैं, जो ऑफलाइन जमाबंदी रजिस्टर में दर्ज थी, परन्तु वे भूलवश ऑनलाइन नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजी में परिलक्षित त्रुटियों का निराकरण तथा उत्तराधिकार/बँटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदियों के ऑनलाइन करने की कार्रवाई हेतु अभियान चलाकर कैम्प मोड में आवेदन प्राप्त करना आवश्यक है।

4. डिजिटाइज्ड जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों के त्वरित निराकरण करने, छूटी हुई जमाबंदियों के ऑनलाइन करने एवं उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation) अथवा संयुक्त संपत्ति के बँटवारे की स्थिति में नामांतरण की कार्रवाई हेतु दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025 तक राजस्व महा–अभियान का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी विवरण को अद्यतन करने एवं आम रैयतों/भू–धारियों को भूमि संबंधी हो रही कठिनाईयों के निवारण हेतु परिमार्जन (खाता, खेसरा, रकबा, नाम आदि में सुधार) तथा उत्तराधिकार (Inheritance Mutation)/बँटवारा नामांतरण संबंधी आवेदनों को कैम्प मोड में प्राप्त किया जाना है।

5. राजस्व महाअभियान को तीन चरणों में विभक्त करते हुए प्रत्येक चरण में समयबद्ध ढ़ंग से कार्य किया जाना है। संपूर्ण महाअभियान को –(i) अभियान पूर्व गतिविधियों या तैयारी का चरण , (ii) अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ अर्थात् वास्तविक क्रियान्वयन का चरण एवं (iii) अनुवर्ती गतिविधियों का चरण में विभक्त किया गया है। प्रत्येक चरण में किए जाने वाले कार्य एवं उत्तरदायी विभाग/ कार्यालयों/पदाधिकारियों/कर्मियों का दायित्व एवं कार्य निष्पादित करने की समय–सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

प्रथम चरण:– अभियान पूर्व गतिविधियाँ या तैयारी का चरण (दिनांक–18.07.2025 से 14.08.2025) :–

(i) विभाग के स्तर पर महा–अभियान की तैयारी दिनांक–18.07.2025 से प्रारम्भ कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी पंजी (पुरानी) के printout हेतु उपलब्ध कराए गए आवंटन से सभी अंचल अधिकारी जमाबंदी पंजी का Print-Out निकालेंगे एवं इसे मौजावार अलग–अलग बंडलों में रैयतो के नाम के अनुसार Alphabetically रखेंगे। समाहर्त्ता/अपर समाहर्ता इसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी अंचल अधिकारी द्वारा इस कार्य को दिनांक–10.08.2025 तक पूर्ण कर लिया जाए।

(ii) विभाग स्तर से राज्य के सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारियों के साथ दिनांक–30.07.2025 को V.C. का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी पदाधिकारी NIC से एक साथ अनिवार्य रूप से जुड़ेंगे।

(iii) अभियान को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने हेतु प्रत्येक जिला से एक भूमि सुधार उप समाहर्ता, एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दो अंचल अधिकारी तथा एक राजस्व कर्मचारी का चयन करते हुए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, जो दिनांक– 31.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में होगा, में भाग लेने हेतु प्रत्येक जिला समाहर्त्ता निदेशित करेंगे। पदाधिकारियों/कर्मियों का चयन करते समय इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाए कि वह दक्ष एवं कार्य कुशल हो, ताकि जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर सकें।

(iv) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारी एवं कर्मी अपने–अपने जिले में जाकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। जिला स्तरीय प्रशिक्षण जिला–मुख्यालय स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें अपर समाहर्ता, बन्दोबस्त पदाधिकारी; सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी राजस्व पदाधिकारी भाग लेंगे। यह सभी जिलों में दिनांक– 04.08.2025 से दिनांक–07.08.2025 के बीच सम्पन्न किया जायेगा। प्रत्येक जिले के लिए तिथि का निर्धारण इसी अवधि में संबंधित समाहर्त्ता करेंगे।

(V) संबंधित अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी दिनांक–05.08.2025 से दिनांक–09.08.2025 के बीच अपने–अपने अंचल में सभी राजस्व कर्मचारी एवं सभी विशेष सर्वेक्षण अमीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रत्येक अंचल के लिए इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तिथि का निर्धारण समाहर्ता करेंगे। यह सुनिश्चि किया जाय कि प्रत्येक अंचल में प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य स्तर से प्रशिक्षित एक पदाधिकारी एवं जिला के एक वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहें।

(vi) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित किए गए पोर्टल पर प्रत्येक अंचल अधिकारी दिनांक–12.08.2025 तक Micro Plan Upload करेंगे। एक Model Micro Plan विभाग द्वारा सभी अंचलों का उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक अंचल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह दिनांक–10.08.2025 से दिनांक–12.08.2025 के बीच अनिवार्य रुपेण Microplan तैयार कर लें।

Microplan इस प्रकार तैयार किया जाए कि प्रत्येक मौजा में घर–घर जाने हेतु दो कर्मियों का एक दल हो, जो Alphabetical Order में उपलब्ध रैयतों की सूची के आधार पर जमाबंदी पंजी एवं आवश्यकतानुसार आवेदन प्रपत्र तथा Pamphlet का वितरण करेंगे।

(vii) सभी समाहर्ता राजस्व महा–अभियान से संबंधित जिला स्तरीय आदेश उपरोक्त निदेशों के आलोक में निर्गत करेंगे। यह आदेश दिनांक–10.08.2025 से दिनांक–12.08.2025 तक निर्गत कर दिया जाय एवं इसकी प्रति भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

समाहर्ता द्वारा जिला स्तरीय /अनुमंडल स्तरीय एवं अंचल स्तरीय पर्यवेक्षण दल का गठन करते हुए आदेश में समाविष्ट किया जाएगा। जिला स्तरीय दल में अपर समाहर्त्ता एवं बदोवस्त पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय दल में अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के अतिरिक्त अन्य अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी, अंचल स्तरीय दल में अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी के अतिरिक्त प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों को शामिल किया जाय।

समाहर्ता स्तर से सभी मुखियागण एवं त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों को अपने–अपने पंचायत के पंच/सरपंच/ वार्ड सदस्यों के साथ महा–अभियान के दौरान सक्रिय भागीदारी करने हेतु अनुरोध पत्र निर्गत किया जाए।

द्वितीय चरण :– अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ :–

(i) अंचलों द्वारा बनाए गए Microplan के अनुसार प्रत्येक मौजा हेतु गठित द्वि–सदस्यीय दल द्वारा दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–15.09.2025 के मध्य घर–घर जाकर जमाबंदी पंजी प्रति/ आवेदन प्रपत्र एवं Pamphlets का वितरण किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक अंचल में पंचायत सरकार भवन या अनुपलब्धता की स्थिति में किसी अन्य सरकारी भवन में हल्कावार शिविर का आयोजन दिनांक–19.08.2025 से दिनांक–20.09.2025 तक किया जाएगा, जिसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा एवं वितरित प्रपत्रों के आलोक में भरे हुए आवेदन प्रपत्र अनुलग्नक सहित रैयतों से प्राप्त किए जाएँगे।

(iii) प्रत्येक हल्के में शिविर के आयोजन की तिथि इस प्रकार निर्धारित किये जाये कि उस हल्के के मौजे में जमाबंदी पंजी प्रति/आवेदन प्रपत्र बाँटने के उपरांत रैयतों को कम से कम तीन दिन का समय प्राप्त हो। प्रत्येक हल्का में सात दिनों के अन्तराल में दो तिथि में शिविर आयोजित की जाय। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदनों की संख्या ज्यादा है तो शिविर के दिवस बढ़ाये जा सकते है। किसी हल्का में जब पहला शिविर आयोजित हो तब वैसे रैयत, जिनकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुई है, उन्हें प्रपत्र वितरित कर दिये जाय एवं अगली शिविर की तिथि में उनसे आवेदन प्राप्त कर लिया जाय।

(iv) प्रत्येक शिविर में 10 टेबल पर 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन Laptop एवं इंटरनेट डोंगल के साथ उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, मोबाईल नम्बर एवं आवेदन की विषयवस्तु दर्ज होगी, को तिथिवार कम्प्यूटर में संधारित करेंगे। परिमार्जन हेतु आवेदन "परिमार्जन प्लस पोर्टल" के आधार पर एवं नामांतरण/बँटवारा के लिए आवेदन Mutation Plus Portal पर Process किया जायेगा। यह प्रारंभिक जानकारी हल्का शिविर में दी जायेंगी। परन्तु, इसके बाद Processing का कार्य समेकित रूप से यथा सम्भव महा–अभियान अवधि के दौरान अथवा उसके तुरंत पश्चात किया जायेगा एवं अंचल अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर जो अनिवार्यतः सरकारी भवन या Preferably अंचल अभिलेख भवन में केन्द्रीकृत रूप से किया जायेगा। सभी प्राप्त आवेदनों को अनुलग्नक सहित इंट्री एवं अपलोड करने का कार्य विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जायेगा। भौतिक रूप से प्राप्त पत्रों का बंडल बनाकर उस पर तिथि, शिविर का नाम एवं कुल आवेदनों की संख्या लिखकर एवं हस्ताक्षरित कर शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो इसे सुरक्षित स्थान पर रखेंगे।

उपर्युक्त बिन्दु (i), (ii), (iii) एवं (iv) के संबंध में विस्तृत निदेश प्रशिक्षण के दौरान दिया जायेगा।

(v) प्रत्येक शिविर के प्रभारी के रूप में राजस्व कर्मचारी कार्य करेंगे।

(vi) प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों से संबंधित प्रतिवेदन पोर्टल पर इंट्री करने का दायित्व शिविर प्रभारी का होगा। अपर समाहर्ता प्रति दिन एक समेकित प्रतिवेदन विभाग को संध्या 6.00 बजे तक ऑन–लाइन इंट्री के माध्यम से भेजेंगे। यह पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में होगा।

(vii) शिविर में भी अवितरित आवेदन प्रपत्र, जमाबंदी पंजी प्रति तथा पैम्फलेट रखे जाएंगे। अवितरित आवेदन प्रपत्रों की संख्या पंचायतवार अचल अधिकारी द्वारा संधारित की जाएगी एवं पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि घर–घर वितरण के दौरान रैयतों की अनुपस्थिति या अन्य कारण से अवितरित जमाबंदी पंजी की प्रति/आवेदन शिविर में आने पर उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा।

<u>तृतीय चरणः– अनुवर्त्ती गतिविधियाँ</u> :– दिनांक–21.09.20205 से दिनांक–30.10.2025 के मध्य शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराया जाएगा।

6. **प्रचार–प्रसार–** विभागीय मीडिया कोषांग द्वारा अखबार/टीवी ऐड/रेडियो जिंगल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। मीडिया कोषांग के प्रभारी प्रचार–प्रसार हेतु विस्तृत कार्य योजना तथा विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर अपर मुख्य सचिव/सचिव का अनुमोदन प्राप्त करेंगें। प्रत्येक समाहरणालय एवं अंचल में एक–एक होर्डिंग लगाकर एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों की

बैठक कर महाअभियान का प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त Bulk Messaging द्वारा भी महा–अभियान को प्रचारित किया जाय।

अतएव अनुरोध है कि राजस्व महा–अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को भी निदेशित किया जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–2786 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 29-07-2025

प्रतिलिपि:– सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–2786 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 29-07-2025

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–2786 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 29-07-2025

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/ सहायक निदेशक–सह–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी (विभाग में प्रतिनियुक्त)/विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

राजस्व महा–अभियान (दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025)

दैनंदिनी प्रतिवेदन (उत्तराधिकार/बँटवारा आधारित नामांतरण)

जिला का नाम–				दिनांक–			
क्र0	अंचल का नाम	पूर्व से प्राप्त		आज प्राप्त प्रपत्र		कुल प्राप्त	अभ्युक्ति
		भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया	भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया		
1	2	3	4	5	6	7	8

राजस्व महा–अभियान (दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025)

दैनंदिनी प्रतिवेदन (परिमार्जन–डिजिटाईज्ड त्रुटिपूर्ण जमाबंदी)

जिला का नाम–				दिनांक–			
क्र0	अंचल का नाम	पूर्व से प्राप्त		आज प्राप्त प्रपत्र		कुल प्राप्त	अभ्युक्ति
		भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया	भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया		
1	2	3	4	5	6	7	8

राजस्व महा–अभियान (दिनांक–16.08.2025 से 20.09.2025)

दैनंदिनी प्रतिवेदन (परिमार्जन–छूटी हुई जमाबंदी)

जिला का नाम–				दिनांक–			
क्र0	अंचल का नाम	पूर्व से प्राप्त		आज प्राप्त प्रपत्र		कुल प्राप्त	अभ्युक्ति
		भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया	भौतिक रूप से	ऑनलाइन किया गया		
1	2	3	4	5	6	7	8

कैलेंडर : राजस्व महा–अभियान (दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–20.09.2025)

क्र0	गतिविधियाँ	समय–सीमा/ अवधि	उत्तरदायी विभाग/ कार्यालय/पदाधिकारी/ कर्मी	अभ्युक्ति
I	विभाग स्तर पर अभियान पूर्व गतिविधियाँ (PRE-ABHIYAAN ACTIVITIES	दिनांक–18.07.2025 से 14.08.2025 तक	1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग– प्रशाखा–02, 05 एवं 09A,	
	क्षेत्रीय स्तर पर अभियानं पूर्व गतिविधियाँ	दिनांक–30.07.2025 से 14.08.2025 तक	1. जिला स्तर पर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता। 2. अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता। 3. अंचल स्तर पर अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी। 4. पंचायत स्तर पर अंचल अमीन/राजस्व कर्मचारी/विशेष सर्वेक्षण अमीन।	
(1)	सभी जिलों को अंचलवार ऑनलाइन जमाबंदी पंजी (पुराना) का Print Out करने हेतु स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन उपलब्ध कराना।	***दिनांक–18–28 जुलाई 2025***	विभागीय प्रशाखा–09ए एवं 05 (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	
(2)	महाअभियान का विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत करना।	दिनांक–25.07.2025 से 29.07.2025 के बीच	विभागीय प्रशाखा–09A (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	
(3)	विभाग स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन एवं महा–अभियान के अनुश्रवण /पर्यवेक्षण हेतु विभागीय पदाधिकारियों के मध्य जिला का आवंटन तथा निदेश निर्गत करना	दिनांक–30.07.2025 तक	विभागीय प्रशाखा–09A (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	
(4)	परिमार्जन हेतु आवेदन प्रपत्र डिजाईन करना (Downloadable PDF)	दिनांक–30.07.2025 तक	श्री आनन्द शंकर, विभागीय आई0टी0 प्रबंधक	

(5)	दाखिल–खारिज संबंधी Pamphlet डिजाईन करना	दिनांक–30.07.2025 तक	श्री अनुपम प्रकाश, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
(6)	शिविरों में की जाने वाली गतिविधियों हेतु Training Video तैयार करना	दिनांक–30.07.2025	श्री आनन्द शंकर, विभागीय आई0टी0 प्रबंधक	
(7)	सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचल अधिकारियों के साथ विभागीय स्तर से V.C	दिनांक–30.07.2025	विभागीय प्रशाखा–09A एवं आई0टी0 प्रबंधक	
(8)	सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों की अधिवेशन भवन, पटना में Physical Training हेतु पत्र निर्गत करना।	दिनांक–28.07.2025	विभागीय प्रशाखा–09A	
(9)	सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों की Physical Training (राज्य स्तरीय)	दिनांक–31.07.2025	विभागीय प्रशाखा–09A, आई0टी0 प्रबंधक एवं श्री अनुपम प्रकाश, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	
(10)	जिला स्तरीय प्रशिक्षण, जिसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी भाग लेंगे।	दिनांक–04.08.2025 से दिनांक–07.08.2025 के बीच समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित किसी एक दिन, एक दिवसीय प्रशिक्षण	समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता	
(11)	अंचल स्तरीय प्रशिक्षण, जिसमें राजस्व कर्मचारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन भाग लेंगे	दिनांक–05.08.2025 से दिनांक–09.08.2025 के बीच समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित तिथि को प्रत्येक अंचल में किसी एक दिन, एक दिवसीय प्रशिक्षण	संबंधित अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी	
(12)	अंचल स्तरीय Model Micro Plan एवं महा–अभियान हेतु पोर्टल बनाना	दिनांक–02.08.2025	विभागीय आई0टी0 प्रबंधक	

(13)	अंचल कार्यालय द्वारा Micro Plan तैयार करना	दिनांक–10–12 अगस्त, 2025	संबंधित अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी	
(14)	अंचल द्वारा तैयार Micro Plan को महा–अभियान पोर्टल पर अपलोड करना	दिनांक–12.08.2025 तक	संबंधित अंचल अधिकारी	
(15)	(I) जिला स्तरीय पर्यवेक्षण दल का गठन (अपर समाहर्त्ता एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी का संयुक्त दल) (II) अनुमंडल स्तरीय पर्यवेक्षण दल (अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का संयुक्त दल) (III) अंचल स्तरीय पर्यवेक्षण दल (अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अंचल/प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी) (IV) पंचायत स्तरीय पर्यवेक्षण दल (मुखिया की अध्यक्षता में सरपंच/पंच/वार्ड सदस्य को)	दिनांक–10–12 अगस्त, 2025	संबंधित जिला समाहर्त्ता	
(16)	पंचायत स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों के दल का गठन हेतु पंचायती राज विभाग को अनुरोध पत्र	दिनांक–29.07.2025 तक	विभागीय प्रशाखा–09A (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	
(17)	प्रचार–प्रसार– 1. दैनिक समाचार एवं दूरदर्शन पर विज्ञापन दिया जायेगा 2. रेडियों जिंगल के माध्यम से प्रचार–प्रसार 3. प्रत्येक अंचल एवं समाहरणालय में एक होडिंग लगाया जाना। 4. मुख्यालय स्तर से Bulk SMS की व्यवस्था।	प्रारम्भ से पूरे अभियान की समाप्ति तक	– विभागीय मीडिया सेल/ समाहर्त्ता/ अपर समाहर्त्ता /अंचल अधिकारी द्वारा	– –

E:\2025\9A\Rajswa Maha-abhiyan\Rajaswa Maha Abhiyaan Calender.docx

II	**अभियान के दौरान की जानेवाली गतिविधियाँ**	दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–20.09.2025 तक (प्रति कार्य दिवस 9.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक)	1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2. सभी समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता / अनुमंडल पदाधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी / अंचल स्तरीय कर्मी / विशेष सर्वेक्षण से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी	
(1)	घर–घर जाकर जमाबंदी पंजी / परिमार्जन संबंधी अवेदन प्रपत्र एवं नामांतरण (उत्तराधिकार / बंटवारा आधारित) संबंधित Pamphlets का वितरण	दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–20.09.2025 तक	अंचल अधिकारी द्वारा गठित वितरण दल (विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं पंचायत स्तरीय नोडल पदाधिकारी)	
(2)	शिविरों में आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना एवं प्रविष्टि	दिनांक–20.08.2025 से 20.09.2025 तक	विशेष सर्वेक्षण अमीन (प्रत्येक शिविर हेतु दस)	
(3)	(I) प्रतिदिन वितरित एवं प्राप्त आवेदनों से संबंधित दैनंदिन प्रतिवेदन का प्रेषण (शिविरवार)	दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–20.09.2025 तक	शिविर प्रभारी–अंचल अधिकारी–अपर समाहर्त्ता–विभाग	
	(II) दैनंदिन प्रतिवेदन को महा–अभियान पोर्टल पर अपलोड करना	दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–20.09.2025 तक	शिविर प्रभारी	
(4)	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण	दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–20.09.2025 तक	विभागीय पदाधिकारी / समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता / अनुमंडल पदाधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी	
III	अनुवर्त्ती गतिविधियाँ (Follow-up Activities)	दिनांक–21.09.2025 से दिनांक–30.10.2025 तक	समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता / अनुमंडल पदाधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी	